

झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, (भा० प्र० से०)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा -

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 26-02-2024

विषय -

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता हेतु राज्य योजना - "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना" अंतर्गत मो० 1816.15 लाख (अठारह करोड़ सोलह लाख पंद्रह हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन तथा उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो० 1130.00 लाख (ग्यारह करोड़ तीस लाख) रु० मात्र के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तीन चरणों में अनुमोदित परियोजनाओं के आलोक में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 29 रा० (वि०) दिनांक 01.12.2023 एवं राज्यादेश सं० 34 रा० (वि०) दिनांक 16.01.2024 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता हेतु राज्य योजना - "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना" अंतर्गत मो० 1816.15 लाख (अठारह करोड़ सोलह लाख पंद्रह हजार) रुपये मात्र पर योजना क्रियान्वयन तथा उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो० 1130.00 लाख (ग्यारह करोड़ तीस लाख) रु० मात्र के अनुमानित लागत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु मो० 1130.00 लाख (ग्यारह करोड़ तीस लाख) रुपये का योजना उद्व्यय एवं इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 1130.00 लाख (ग्यारह करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

(राशि लाख रु० में)

मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-78-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप				
क्रम	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	-स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन				
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता 53S24050010178010649	510.00	510.00	0.00
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता 53S24050078978010649	170.00	170.00	0.00
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता 53S24050079678010649	450.00	450.00	0.00
कुल योग:-		1130.00	1130.00	0.00

मो० 1130.00 लाख (ग्यारह करोड़ तीस लाख) रु० मात्र।

4. भारत सरकार द्वारा देश में मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य कृषकों की आय दुगुनी करने, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए रोजगार सृजन तथा फसलोत्तर क्षति को कम करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुये निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए मूल अनुदान की राशि के साथ-साथ स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता देने की माँग सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में की जाती रही है। दिनांक 16.09.2022 को स्टेट टॉप-अप के लिए निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सभी कोटि यथा General/ST/SC/Women को Unit cost का पूर्व निर्धारित अनुदान के साथ और 25 % राज्य योजना अंतर्गत स्टेट टॉप-अप के रूप में दिये जाने की अनुशंसा निम्न रूप में की गई है -

(राशि लाख रु० में)

क०	कम्पोनेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
1.1	कार्प हैचरी अधिष्ठापन कार्य	25.00	10.00	15.00	6.25
1.3	नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/बीज रियरिंग तालाब)	7.00/ha	2.80	4.20	1.75
1.4	नये ग्रे आउट तालाब का निर्माण	7.00	2.80	4.20	1.75
1.12	बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (4 लाख रु० प्रति हे० इनपुट सहित)	14.00	5.60	8.40	3.50
4.1	बैकयॉर्ड सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	3.00	1.20	1.80	0.75
4.2	मध्यम आकार के सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	8.00	3.20	4.80	2.00
4.3	समेकित अलंकारी मछलियों की पालन एवं प्रजनन इकाई (मीठा जल मछली)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.1 a	बड़े आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 90 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 08 टैंक एवं 40 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	50.00	20.00	30.00	12.50
5.1 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उँचाई के 50 टैंक वाले बड़े बायोफ्लॉक की स्थापना	50.00	20.00	30.00	12.50
5.2 a	मध्यम आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 30 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 06 टैंक एवं 10 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.2 b	04 मी० व्यास एवं 1 मी० उँचाई के 25 टैंक वाले मध्यम बायोफ्लॉक की स्थापना	25.00	10.00	15.00	6.25
5.3 a	छोटे आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 100 घनमीटर क्षमता का 01 टैंक)	7.50	3.00	4.50	1.88
5.3 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उँचाई के 07 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना	7.50	3.00	4.50	1.88

क्र०	कम्पौनेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
5.4	बैकयॉर्ड मिनी आर0ए0एस0 (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना	0.50	0.20	0.30	0.13
5.5	जलाशयों में केज अधिष्ठापन	3.00	1.20	1.80	0.75
6.1 a	कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लान्ट निर्माण	40.00	16.00	24.00	10.00
6.9 a	लघु फिश फीड मिल (प्रतिदिन 02 टन उत्पादन क्षमता)	30.00	12.00	18.00	7.50

6. (क) निजी क्षेत्र के लिए लाभुक जनित योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान एवं स्टेट टॉप-अप से दिये जाने वाले अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार होगी –

लामुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			लामुकों का अंशदान	स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	स्टेट टॉप-अप के उपरांत लामुक का अंशदान
		सरकारी अनुदान	कुल सरकारी अनुदान में				
			केन्द्रांश *	राज्यांश *			
General	100	40 %	60 %	40%	60%	25 %	35 %
ST	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
SC	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
Women	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %

*केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सरकारी अनुदान में निहित है।

(ख) निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए इकाई लागत (मानक 100/- रु0 मात्र मानते हुए) के विरुद्ध राज्यांश मद का अनुदान एवं राज्य योजना के स्टेट टॉप-अप से दी जाने वाली सहायता से राज्य सरकार पर पड़ने वाला व्यय भार निम्न प्रकार है –

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	राज्य सरकार पर पड़ने वाला कुल व्यय भार
		सरकारी अनुदान	केन्द्रांश *	राज्यांश *		
General	100	40	24	16	25	41
ST	100	60	36	24	25	49
SC	100	60	36	24	25	49
Women	100	60	36	24	25	49

7. राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभुक के रूप में अपना अंशदान लगाने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से टॉप-अप सहायता उपलब्ध कराने से लाभुक सुगमतापूर्वक ससमय योजना क्रियान्वित कर सकेंगे।

संयोजक

मंत्रि

8. पूर्व में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही में भी अंकित है कि वैसी योजनाएँ जो केन्द्र संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, उनमें मात्र अनुदान की राशि की वृद्धि की स्थिति में अन्तर राशि ही Top-up के रूप में राज्य मद से प्रावधानित की जाय।

(क) उक्त के आलोक में केज कल्चर हेतु राज्य योजना से केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढीकरण योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यादेश सं० 08 रा० (वि०) दिनांक 13.06.2023 निर्गत है। उक्त निर्गत राज्यादेश में सभी कोटि के लिए केज अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा 90 % एवं इनपुट हेतु 50 % अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे केज कल्चर के कुल इकाई लागत का लगभग 70 % अनुदान लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी सभी कोटि के लिए इसीप्रकार 70 % तक अनुदान स्टेट टॉप-अप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत स्वीकृत होने वाले केज कल्चर में स्टेट टॉप-अप से General कोटि के लिए 30 % तक एवं ST/SC/Women कोटि के लिए 10 % तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा केज अधिष्ठापन की लागत का अधिकतम 90 % तक ही केज कल्चर हेतु उपलब्ध कराये गये कुल अनुदान (केन्द्रांश + राज्यांश + स्टेट टॉप-अप) में से एवं शेष इनपुट में व्यय किया जायेगा।

(ख) राज्य योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रियरिंग तालाब का निर्माण योजना भी स्वीकृत है किन्तु राज्य योजना तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत में भिन्नता है। राज्य योजना में वर्ष 2022-23 में निर्गत राज्यादेश सं० 02 रा० (वि०) दिनांक 25.05.2022 में इकाई लागत मो० 5.008 लाख रु० प्रति एकड़ अर्थात् मो० 12.52 लाख रु० प्रति हेक्टेयर है। जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इकाई लागत मो० 7.00 लाख रु० प्रति हेक्टेयर मात्र है। अतएव इसमें स्टेट टॉप-अप से और 25 % तक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

9. (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.07.2023 से प्रथम चरण में मो० 76.376 करोड़ रुपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें मो० 26.29636 करोड़ रु० केन्द्रांश, मो० 17.53084 करोड़ रु० राज्यांश तथा मो० 32.5488 करोड़ रु० लाभुकों का अंशदान है। भारत सरकार द्वारा पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 20.09.2023 से द्वितीय चरण में Beneficiary Oriented Schemes एवं Non Beneficiary Oriented Schemes में मो० 19.1726 करोड़ रुपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें मो० 7.8676 करोड़ रु० केन्द्रांश, मो० 5.245 करोड़ रु० राज्यांश तथा मो० 6.06 करोड़ रु० लाभुकों का अंशदान है। उक्त दोनों प्रशासनिक अनुमोदनों के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं० 29 रा० (वि०) दिनांक 01.12.2023 निर्गत है। द्वितीय चरण में Beneficiary Oriented Schemes के तहत भारत सरकार के पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.12.2023 से मो० 23.34 करोड़ रुपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें मो० 8.4024 करोड़ रु० केन्द्रांश, मो० 5.6016 करोड़ रु० राज्यांश तथा मो० 9.336 करोड़ रु० लाभुकों का अंशदान है। जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं० 34 रा० (वि०) दिनांक 16.01.2024 निर्गत है। दिनांक 16.09.2022 को इस योजना के लिए सम्पन्न उक्त वर्णित विभागीय बैठक में Beneficiary Oriented Schemes में स्टेट टॉप-अप के लिए की गई अनुशंसा के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त दोनों विभागीय राज्यादेशों में स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर आकलित स्टेट टॉप - अप की राशि मो० 1816.15 करोड़ रुपये मात्र है जिसकी विवरणी परिशिष्ट - 'I' के रूप में संलग्न है। इस योजना की स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से झारखण्ड राज्य हेतु स्वीकृत प्रशासनिक अनुमोदन पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.07.2023, पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 20.09.2023 तथा पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 26.12.2023 के लाभुकों को ही स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

अ.प.स. / 23/10

by

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना अंतर्गत लघु शीर्षवार उपलब्ध बजट उपबंध मो0 11.30 करोड़ रु0 मात्र का ही व्यय किया जा सकता है। अतएव वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु आकलित राशि मो0 1816.15 करोड़ रुपये मात्र के विरुद्ध शेष राशि मो0 6.8615 करोड़ रु0 मात्र के व्यय हेतु चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

(ग) इसी प्रकार केन्द्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशासनिक अनुमोदनों के सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

10. योजना की feasibility की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।
11. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिन कार्यों के लिए राशि विमुक्त की गई है, स्टेट टॉप-अप की राशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाए तथा राशि का विचलन नहीं हो।
12. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। स्टेट टॉप-अप की राशि डी0 बी0 टी0 के माध्यम से व्यय की जाएगी।
13. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना का दोहरीकरण नहीं हो।
14. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो दिये गये जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'II A', 'II B' तथा 'II C') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
15. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।
17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।
19. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
20. स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.01.2023 को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 - 49/2023 दिनांक 03.02.2023 द्वारा निर्गत है, में इस योजना की अनुशंसा निम्न दो शर्तों के साथ की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा -

(क) योजना के कियान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) इस योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दिये जाने वाले राज्यांश की राशि के साथ स्टेट टॉप-अप की राशि विमुक्त की जाय।

22. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के विभागीय संलेख ज्ञापांक-270, दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 17.04.2023 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृत है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
24. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
25. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
26. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।
- अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 CTB (वि०) / राँची, दिनांक 26-02-2024

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सभी सहायक मत्स्य निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 CTB (वि०) / राँची, दिनांक 26-02-2024

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 CTB (वि०) / राँची, दिनांक 26-02-2024

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कोटिगार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मौक्तिक एवं वित्तीय लक्ष्य के स्टेट टॉप ग्रुप की विवरणी

(कर्णाकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(अनुवक्ता सिद्धि पी०)
सरकार के सचिव

26-52-24

(कर्णाकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(अनुवक्ता सिद्धीधर पी०)
सरकार के सचिव

46 LPO (Pw)
28-02-2024

परिशिष्ट-1
वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोटिवार स्वीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धा योजना के लिए स्टैंड टीप - अय का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)							Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से हेतु प्राप्त की राशि (Unit cost का 25 %) (Rs. in lakh)
1	2	3	4	5	General	ST	SC	Women	Total	11	12		
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Ramgarh	0	0	0	0	3	3	5.625		
				Giridih	0	0	0	2	2	3.750			
				Bokaro	0	0	0	2	2	3.750			
				Deoghar	0	0	0	3	3	5.625			
				Koderma	0	0	0	4	4	7.500			
				Lohardaga	1	0	0	0	1	1.875			
				Godda	1	0	0	5	6	11.250			
5.4	Establishment of Backyard mini RAS units	0.50	Nos.	Total	10	19	5	64	98	183.750			
				Sahebganj	0	0	0	1	1	0.125			
				Chaibasa	0	1	0	0	1	0.125			
				Jamshedpur	1	0	0	0	1	0.125			
				Total	1	1	0	1	3	0.375			
				Gumla	0	20	0	0	20	6.000			
				Seraikela	10	44	200	98	352	111.600			
5.5	Installation of cages in Reservoirs	3.00	Nos.	Ranchi	0	44	240	8	292	87.600			
				Hazaribagh	0	20	240	32	292	87.600			
				Ramgarh	0	0	24	0	24	7.200			
				Dumka	0	30	0	0	30	9.000			
				Jamtara	0	0	0	12	12	3.600			
				Koderma	0	0	184	20	204	61.200			
				Bokaro	0	8	16	20	44	13.200			
B.	Infrastructure And Post Harvest Management	Construction of Cold Storages/ Ice Plants	40.00	Nos.	Godda	0	0	0	1	1	2.400		
					Total	0	1	1	7	9	389.400		
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants	40.00	Nos.	Dumka	0	0	0	2	2	20.000			
				Pakur	0	1	0	0	1	10.000			
				Palamu	0	0	0	2	2	20.000			
				Bokaro	0	0	0	1	1	10.000			
				Deoghar	0	0	0	1	1	10.000			
				Koderma	0	0	1	0	1	10.000			
				Godda	0	0	0	1	1	10.000			
6.9	Fish Feed Mills	30.00	Nos.	Total	0	1	1	7	9	90.000			
				Sahebganj	0	0	0	1	1	7.500			
				Gumla	0	1	0	1	2	15.000			
				Simdega	0	0	0	1	1	7.500			
				Chaitra	1	0	1	1	3	22.500			
				Pakur	0	0	0	1	1	7.500			
				Palamu	0	1	0	1	2	15.000			
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Koderma	0	0	1	0	1	7.500			
				Seraikela	0	0	0	1	1	7.500			
				Total	1	2	2	7	12	90.000			
				9541.00									
1816.150													

(कृपया ध्यान दें: यह संपूर्ण नहीं है।)

(अधिकांश: कृपया ध्यान दें: यह संपूर्ण नहीं है।)

(अनुसंधान विभाग में)
सरकार के सचिव

3/11

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टॉप अय की राशि (Unit cost का 25 %) (Rs. in lakh)
1	2	3	4	5	General	ST	SC	Women	Total	11	12
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY											
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture										
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.	Godda	0	0	0	0	1	1	6,250
				Latehar	0	0	0	0	1	1	6,250
				Girdih	1	0	0	0	2	3	18,750
				Bokaro	0	0	0	0	3	3	18,750
				Koderma	0	0	0	0	1	1	6,250
				Gumla	0	0	0	0	1	1	6,250
				Total	1	0	0	0	9	10	62,500
				Dumka	0	2	0	0	0	2	3,500
				Jamshedpur	0	0	0	0	1	1	1,750
				Palamu	0	5	5	5	10	20	35,000
				Girdih	1	0	0	0	0	1	1,750
				Jamtara	0	3	0	0	7	10	17,500
				Total	1	10	5	5	18	34	59,500
1.3	Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Dumka	0	1	0	0	0	1	1,750
				Gumla	0	10	0	0	10	20	35,000
				Sahibganj	1	0	0	0	1	2	3,500
				Jamshedpur	0	0	0	0	1	1	1,750
				Chatra	5	3	4	5	5	17	29,750
				Hazaribagh	0	0	0	0	1	1	1,750
				Palamu	1	0	1	1	3	5	8,750
				Bokaro	0	11	9	11	31	31	54,250
				Jamtara	0	1	0	0	0	1	1,750
				Total	7	26	14	32	79	79	138,250
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Dumka	0	1	0	0	4	5	17,500
				Sahibganj	0	1	0	0	0	1	3,500
				Gumla	0	5	0	0	3	8	28,000
				Simdega	0	1	0	0	1	2	7,000
				Dhanbad	1	0	0	0	1	2	7,000
				Pakur	0	1	0	0	0	1	3,500
				Jamshedpur	1	0	0	0	1	2	7,000
				Godda	0	0	0	0	13	13	45,500
				Palamu	0	0	0	0	3	3	10,500
				Lohardaga	1	0	0	0	6	7	24,500
				Deoghar	0	0	0	0	4	4	17,500
				Bokaro	0	2	7	9	9	18	63,000
				Koderma	0	1	4	5	5	10	35,000
				Jamtara	0	0	0	0	1	1	3,500
				Total	4	12	11	55	82	82	287,000
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries			Gumla	0	6	0	0	3	9	6,750
				Koderma	0	0	0	0	1	1	0,750
				Khunti	0	3	0	0	0	3	2,250
				Total	0	9	0	0	4	13	9,750
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.	Bokaro	0	0	0	0	1	1	6,250
				Total	0	0	0	0	1	1	6,250
4.3	Integrated Ornamental fish (unit breeding and Rearing for Fresh water fish)	25.00	Nos.	Total	0	0	0	0	1	1	6,250

3412/2023

परिशिष्ट-II-C

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-78-प्रधानमंत्री मत्स्य समदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय प्रयोजित प्रधानमंत्री मत्स्य समदा योजना का कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लेख के स्टेट टॉप अप की विवरणी

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost (Rs. in lakh)	योजना की राशि की 25% (Unit cost का 25%) (Rs. in lakh)	राज्य सरकार द्वारा अनुदानित राशि (Rs. in lakh)	राज्य सरकार द्वारा अनुदानित राशि (Rs. in lakh)
					General	ST	Women	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY												
1	A	Development of Inland Fisheries and Aquaculture										
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.	Latchar Gumla Total	0 0 0	0 0 0	1 1 2	1 1 2	50.00	6,250 3,000 12,500	3,000 6,000 3,500	3,250 6,500 0,500
				Dumka Jamshedpur Jamtara Total	0 0 0 0	2 0 3 5	0 1 7 8	2 1 10 13	91.00	3,000 1,500 17,500 22,750	3,000 1,500 15,000 19,500	3,250 0,250 2,500 3,250
1.3	Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Dumka Gumla Sahebganj Jamshedpur Jamtara Total	0 0 1 0 0 1	10 10 0 1 0 12	10 10 1 1 0 12	20 2 2 1 1 25	175.00	35,000 3,500 3,500 1,750 1,750 17,500	30,000 3,000 1,500 1,500 1,500 10,000	5,000 0,500 0,250 0,250 0,250 7,500
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Dumka Sahebganj Gumla Sindga Pakur Jamshedpur Lohardaga Jamtara Total	0 0 0 0 0 1 1 0 2	1 1 5 1 1 0 0 9	0 0 3 3 0 1 4 1 14	1 8 2 2 1 5 1 25	350.00	3,500 7,000 3,500 7,000 7,000 17,500 3,500 87,500	2,000 4,000 2,000 4,000 4,000 10,000 2,000 50,000	1,500 3,000 3,000 1,500 1,500 7,500 1,500 37,500
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries			Gumla Khunti Total	0 0 0	6 3 9	3 0 3	9 3 12	36.00	6,750 2,250 9,000	6,750 2,250 9,000	0,000 0,000 0,000
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.	Jamtara Ranchi Total	1 0 1	0 0 0	0 1 1	1 1 2	104.00	12,500 12,500 25,000	6,000 12,000 12,000	6,500 13,000 13,000
5	Technology Infusion and Adaptation			Sahebganj Total	0 0	0 0	2 2	2 2	100.00	37,500 6,250	30,000 5,000	13,000 1,250
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.	Gumla Sindga Total	0 0 0	4 0 4	2 1 3	6 1 7	175.00	6,250 43,750 43,750	5,000 35,000 35,000	1,250 8,750 7,500
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Dumka Sahebganj Gumla Khunti Jamshedpur Pakur Total	0 0 0 0 0 0 0	4 1 2 1 1 1 6	2 3 4 1 1 1 17	6 4 4 2 2 2 17	37,500 25,000 12,500 6,250 12,500 106,250	30,000 20,000 10,000 5,000 10,000 85,000	7,500 5,000 2,500 1,250 2,500 21,250	
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Jamtara Ranchi Total	1 0 1	0 0 0	0 1 1	1 1 2	425.00	37,500 12,500 50,000	30,000 10,000 40,000	13,000 2,500 15,500
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Jamtara Ranchi Total	1 0 1	0 0 0	0 1 1	1 1 2	106,250	85,000	21,250	

33

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)						Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %) (Rs. in lakh)
					General	ST	SC	Women	Total			
1	Technology Infusion and Adaptation	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.	Jamtara	1	0	0	0	0	1	200.00	12,500
				Deoghar	0	0	0	0	2	2		25,000
				Ranchi	0	0	0	0	1	1		12,500
				Total	1	0	0	0	3	4		50,000
				Palamu	1	1	0	0	1	3		37,500
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Bokaro	0	0	0	0	1	1	400.00	12,500
				Deoghar	0	0	0	0	2	2		25,000
				Sahebganj	0	0	0	0	2	2		25,000
				Total	1	1	0	0	6	8		100,000
				Gumla	0	4	0	0	2	6		37,500
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Simdega	0	0	0	0	1	1	375.00	6,250
				Palamu	1	0	3	0	0	5		31,250
				Giridih	1	0	0	0	1	1		6,250
				Deoghar	0	0	0	0	1	1		6,250
				Dhanbad	0	0	0	0	1	1		6,250
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Total	2	4	3	6	6	15	850.00	93,750
				Dumka	0	2	0	0	4	6		37,500
				Sahebganj	0	1	0	0	3	4		25,000
				Gumla	0	1	0	0	1	2		12,500
				Chatra	0	0	0	0	2	2		12,500
5.3.1	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Khunti	0	0	0	0	1	1	172.50	6,250
				Jamshedpur	0	1	0	0	1	2		12,500
				Palamu	1	1	1	1	1	4		25,000
				Pakur	0	1	0	0	1	2		12,500
				Deoghar	1	0	3	1	1	5		31,250
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Koderma	0	0	0	0	1	1	735.00	6,250
				Godda	0	0	0	0	5	5		31,250
				Total	2	7	4	21	34	34		212,500
				Dumka	0	0	0	0	1	1		1,875
				Gumla	0	8	0	0	4	12		22,500
5.3.3	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Simdega	0	0	0	0	1	1	43.125	1,875
				Chatra	0	0	0	0	3	3		5,625
				Palamu	0	0	0	0	1	1		1,875
				Deoghar	0	0	0	0	3	3		5,625
				Koderma	0	0	0	0	1	1		1,875
5.3.4	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Chaibasa	0	1	0	0	0	1	11.250	1,875
				Total	0	9	0	0	14	23		43,125
				Dumka	0	2	0	0	15	17		31,875
				Sahebganj	0	0	0	0	1	1		1,875
				Gumla	0	3	0	0	3	6		11,250
5.3.5	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Chatra	1	0	1	0	5	7	9.375	13,125
				Dhanbad	1	0	1	3	5	5		9,375
				Jamtara	0	0	0	0	3	3		5,625
				Ranchi	0	1	0	0	2	3		5,625
				Chaibasa	0	3	0	0	0	3		5,625
5.3.6	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Jamshedpur	0	0	0	0	1	1	37.500	1,875
				Pakur	5	9	0	0	6	20		37,500
				Palamu	0	0	0	0	3	3		5,625
				Garhwa	1	1	3	3	8	8		15,000

34-12-2023

परिशिष्ट-II-A

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-संवर्दी पालन अर्न्तर्गत उप शीर्ष-78-प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय प्रयोजित प्रशासनिक मत्स्य समृद्धता योजना का कोटिदार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मौखिक एवं वित्तीय लेख के स्टेट टैंग अप की विवरणी

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Total Cost (Rs. in lakh)	एकक योजना के स्टेट टैंग अप की राशि (Unit cost Rs. 25 %)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशुद्धि स्टेट उपकरण के अर्न्तर्गत राज्य योजना से स्टेट टैंग अप की राशि (Rs. in lakh)	स्टेट टैंग अप की अंश राशि (Rs. in lakh)
1	2	3	4	5	General	ST	Women	Total	9	10	11	12	13
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY													
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture												
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.							200.00	6,250	3,000	3,250
											18,750	9,000	9,750
											18,750	9,000	9,750
											6,250	3,000	3,250
											50,000	24,000	26,000
											26,250	26,250	0,000
											1,750	1,750	0,000
											28,000	28,000	0,000
											22,750	22,750	0,000
											1,750	1,750	0,000
											7,000	7,000	0,000
											38,500	38,500	0,000
											70,000	70,000	0,000
											7,000	4,000	3,000
											45,500	26,000	19,500
											10,500	6,000	4,500
											24,500	14,000	10,500
											14,000	8,000	6,000
											38,500	22,000	16,500
											21,000	12,000	9,000
											161,000	92,000	69,000
1.2	Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs 4 lakh/Ha	14.00	0.1 Ha							644.00	0,750	0,750	0,000
											6,250	6,250	0,000
											6,250	6,250	0,000
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries												
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.							3.00	0,750	0,750	0,000
											6,250	6,250	0,000
											6,250	6,250	0,000
4.3	Integrated Ornamental fish (unit breeding and Rearing for fresh water fish)	25.00	Nos.							25.00	6,250	6,250	0,000
5	Technology Infusion and Adaptation												
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m ³ /tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.							100.00	25,000	12,000	13,000
											37,500	18,000	19,500
											12,500	6,000	6,500
											25,000	12,000	13,000
											75,000	36,000	39,000
											12,500	10,000	2,500
											6,250	5,000	1,250
											6,250	5,000	1,250
											31,250	25,000	6,250
											12,500	10,000	2,500
											18,750	15,000	3,750
											12,500	10,000	2,500
											6,250	5,000	1,250
											31,250	26,250	5,000
											81,250	66,250	15,000
5.2.1	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m ³ /tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.							125.00	6,250	5,000	1,250
											6,250	5,000	1,250
											31,250	25,000	6,250
											12,500	10,000	2,500
											18,750	15,000	3,750
											12,500	10,000	2,500
											6,250	5,000	1,250
											31,250	26,250	5,000
											81,250	66,250	15,000
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.							325.00	6,250	5,000	1,250
											6,250	5,000	1,250
											31,250	26,250	5,000
											81,250	66,250	15,000

परिशिष्ट-II-B

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2405-भाउली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-78-प्रधानमंत्री मत्स्य समपदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य समपदा योजना का कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के स्टेट टॉप अप की विवरणी

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)		Total Cost (Rs. in lakh)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %) (Rs. in lakh)	वर्तमान बजट उपलब्ध के अर्धिन राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %) (Rs. in lakh)	स्टेट टॉप-अप की अवशेष राशि (Rs. in lakh)
					SC	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A										
ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY										
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture									
1.3	Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Palamu	5	5	35.00	8.750	5.000	3.750
				Total	5	5		8.750	5.000	3.750
				Chatra	4	4		7.000	4.000	3.000
				Palamu	1	1		1.750	1.000	0.750
				Bokaro	9	9	98.00	15.750	9.000	6.750
				Total	14	14		24.500	14.000	10.500
1.4	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Bokaro	7	7		24.500	10.500	14.000
				Total	7	7		24.500	10.500	14.000
1.12	Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs 4 lakh/Ha	14.00	0.1 Ha	Koderma	4	4	154.00	14.000	6.000	8.000
				Total	11	11		38.500	16.500	22.000
5	Technology Infusion and Adaptation									
5.2.3	Establishment of Medium RAS (with 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Palamu	3	3	75.00	18.750	10.500	8.250
				Total	3	3		18.750	10.500	8.250
				Palamu	1	1		6.250	3.500	2.750
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Deoghar	3	3	100.00	18.750	10.500	8.250
				Total	4	4		25.000	14.000	11.000
				Chatra	1	1		1.875	1.875	0.000
				Dhanbad	1	1	37.50	1.875	1.875	0.000
				Garhwa	3	3		5.625	5.625	0.000
				Total	5	5		9.375	9.375	0.000
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Saalkela	200	200		60.000	20.000	40.000
				Ranchi	240	240		72.000	24.000	48.000
				Hazaribagh	240	240		72.000	24.000	48.000
				Ramgarh	24	24		7.200	2.400	4.800
				Koderma	184	184	2736.00	55.200	18.400	36.800
				Bokaro	16	16		4.800	1.600	3.200
				Goddal	8	8		2.400	0.800	1.600
				Total	912	912		273.600	91.200	182.400
5.5	Installation of cages in Reservoirs	3.00	Nos.							
B. Infrastructure And Post Harvest Management										
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants									
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Koderma	1	1	40.00	10.000	2.675	7.325
				Total	1	1		10.000	2.675	7.325
6.9	Fish Feed Mills									
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Chatra	1	1	60.00	7.500	3.375	4.125
				Koderma	1	1		7.500	3.375	4.125
				Total	2	2		15.000	6.750	8.250
				Total	2	2	3335.50	423.475	170.000	253.475
(एक करोड़ सत्तर लाख रु० मात्र)										

(कर्मकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(एक करोड़ सत्तर लाख रु० मात्र)

(सहस्रकर्म) दिव्यशेखर श्री०
सरकार के सचिव

4C (21) फि
26-02-24